

2020 - 21 ई.स.

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961  
(कानूनी नियम और आदेश)

प्रसूय 24क  
(नियम 85ख देखिए)

यह प्रसूय आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 139 के अधीन संबंधित वित्तीय वर्ष के दौरान राजनैतिक दल की आय की विवरणी प्रस्तुत करने के लिए नियत तारीख से पूर्व निर्वाचन आयोग के समक्ष फाइल किया जाना चाहिए और इस आशय का एक प्रमाणपत्र आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन छूट का दावा करने के लिए आय-कर विवरणी के साथ संलग्न किया जाना चाहिए।

- राजनैतिक दल का नाम :
- राजनैतिक दल की प्रास्थिति  
(मान्यताप्राप्त/ अमान्यताप्राप्त) :
- राजनैतिक दल के मुख्यालय का पता :
- निर्वाचन आयोग के पास राजनैतिक दल के रजिस्ट्रीकरण की तारीख :
- स्थायी खाता सं. (पेन) और वह आय-कर वार्ड/ सर्किल जहां राजनैतिक दल की विवरणी फाइल की जानी है.....
- वित्तीय वर्ष 200 -200 के दौरान प्राप्त ऐसे अभिदायों के जो बीस हजार रुपए से अधिक है, और

शक्ति सेना (भारत देश)  
 राजनैतिक दल  
 शक्ति सेना, ब.स. 43, आर.स. वि.स.स.  
 20/03/2009  
 AA EAS 0394 L  
 शक्ति सेना (भारत देश)

क्रम सं.	अभिदात्री व्यक्ति/ कंपनी का नाम और पूरा पता	पेन (यदि कोई हो) और आय-कर वार्ड / सर्किल	अभिदाय की रकम	अभिदाय की शीति। (चेक/ मांगदेय ड्राफ्ट/ नकद)	टिप्पणियां
1	शक्ति सेना	शक्ति सेना	शक्ति सेना	शक्ति सेना	शक्ति सेना

\*चेक/ मांगदेय ड्राफ्ट द्वारा संदाय की दशा में, उस बैंक या बैंक की शाखा का नाम जिस पर चेक/ मांगदेय ड्राफ्ट लिखा गया है।

7. यदि अभिदायी एक कंपनी है तो क्या कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 239क के अधीन अधिकथित शर्तों का अनुपालन किया गया है (कंपनी से अभिप्राप्त इस आशय के प्रमाणपत्र की एक प्रति संलग्न की जानी चाहिए)।

सत्यापन

मैं..... (स्पष्ट अक्षरों में पूरा नाम) पुत्र/ पुत्री..... सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूं कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, इस प्रसूय में दी गई जानकारी ठीक, पूर्ण और सही तौर पर बताई गई है।

मैं यह घोषणा करता हूं कि मैं, उमर नामित राजनैतिक दल की ओर से..... की अपनी हेसियत में इस प्रसूय को सत्यापित कर रहा हूं और मैं ऐसा करने के लिए सक्षम भी हूं।

(कोषाध्यक्ष/ प्राधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर और नाम)  
 शैलेन्द्र बजार  
 राष्ट्रीय अध्यक्ष  
 शक्ति सेना (भारत देश)  
 भारत देश

तारीख : .....